

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग-5
संख्या- १८ / वित्त अनुभाग-५ / स्टाम्प / २००३
देहरादून: दिनांक १७ फरवरी, २००३

अधिसूचना

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (अधिनियम संख्या १६, वर्ष १९०८) की धारा ७८ के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और रजिस्ट्रेशन मैनुअल के भाग-२ (सातवें संस्कारण) के परिशिष्ट ५ में दी गयी रजिस्ट्रीकरण सारणी में श्री राज्यपाल अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से निम्नलिखित रजिस्ट्रीकरण फीस की तालिका विहित करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

ऐसे लेख पत्र जिन्हें इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रोसेसिंग किया जाना है।

रजिस्ट्रेशन फीस के अतिरिक्त लेख पत्र के प्रत्येक पृष्ठ के लिये दस रुपये किन्तु न्यूनतम पचास रुपये।

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव।

संख्या १८(१) / वित्त अनुभाग-५ / स्टाम्प / २००३ तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव एवं आयुक्त, उत्तरांचल शासन।
- २- समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी उत्तरांचल।
- ३- आयुक्त कर/ महानिरीक्षक निबन्धन उत्तरांचल देहरादून।
- ४- महालेखाकार उत्तरांचल, सत्यनिष्ठाभवन थार्न हिल रोड, इलाहाबाद।
- ५- उपनिदेशक राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध सहित कि वे अधिसूचना की २००-२०० प्रतियों हिन्दी एवं अंग्रेजी में उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग-४ खण्ड (ख) में प्रकाशित कराते हुये उसकी प्रतियों वित्त अनुभाग-५ में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- ६- न्याय/ विधायी अनुभाग।
- ७- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल० एम० पत्ता)
अपर सचिव

१८-२-२३
लेख पत्र
उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग-५
देहरादून
१८-२-२३
लेख पत्र
उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग-५
देहरादून
१८-२-२३
लेख पत्र
उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग-५
देहरादून